

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 365 / 2023


दिनांक : 02.02.2023

श्री आदित्य शर्मा (RJ1448), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला, जयपुर) को दिनांक 20.02.2023 से 18.03.2023 तक 27 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 18.02.2023 से 19.02.2023 एवं 19.03.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला, जयपुर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला, जयपुर) के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 02-02-2023

कमांक:-स्था.बी.2(4)/06/2021/044

दिनांक 02.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 261 दिनांक 07.01.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री आदित्य शर्मा (RJ1448), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला, जयपुर) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला, जयपुर) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा (जयपुर जिला, जयपुर) ।


सहायक रजिस्ट्रार